

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।

परिपत्रांक : सी- 28/लेखा/2017-18

दिनांक : 28-06-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश ।

**विषय:-वर्ष 2017-18 के लिये उत्तर प्रदेश में स्थित बैंक की परिसम्पत्तियों
/कार्मिकों की सुरक्षा हेतु सामान्य बीमा ।**

बैंक द्वारा दिनांक 22-04-2017 से 21-04-2018 तक की अवधि हेतु आकस्मिक खतरों से बचाव के लिये उत्तर प्रदेश में स्थित शाखा कार्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रधान कार्यालय की परिसम्पत्तियों/कार्मिकों का सामान्य बीमा उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि०, लखनऊ के माध्यम से "इफको टोकियो जनरल इश्योरेन्स कं०लि०, गोखले मार्ग, लखनऊ" से कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र० | मदों का विवरण | बीमित धनराशि |
|---|--|---------------|
| 1. अग्निबीमा-(पालिसी नं०-11930874) | | |
| 1 | उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ के दो भवन क्रमशः 10, माल एवेन्यू एवं 6, सर्वपल्ली लखनऊ में स्थित है । | 7.54 |
| 2 | नया भवन (लोहिया भवन) जो 10, माल एवेन्यू लखनऊ में स्थित है । | 267.91 |
| 3 | शाखा-गाजियाबाद व शाखा कार्यालय, सैफई का भवन | 14.20 |
| 4 | 10,माल एवेन्यू एवं 6, सर्वपल्ली लखनऊ में भण्डारित सम्पूर्ण डेड स्टॉक, फर्नीचर, टाइपराइटर, बिजली के पंखे, कूलर,अलमारियां, छपी तथा बगैर छपी स्टेशनरी, रजिस्टर,जनरल लेजर,पत्रावलियां, बिजली की फिटिंग, साइक्लोस्टाइल व डुप्लिकेटिंग मशीन, इलक्ट्रोस्टेट/फोटोस्टेट मशीन व उससे संबंधित सहयंत्र, कम्प्यूटर व उससे संबंधित सहयंत्र, कम्प्यूटर से संबंधित छपी व बगैर छपी स्टेशनरी व ओवरहेड प्रोजेक्टर, वी०सी०आर० व फैक्स मशीन,ए०सी०, टी०वी० आदि । | 277.00 |
| 5 | प्रधान कार्यालय-लखनऊ व शाखा-लखनऊ तथा प्रशिक्षण केन्द्र के कक्ष में लगे कम्प्यूटर व उससे संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, बिजली की फिटिंग, फर्नीचर व ए०सी० आदि । | 22.00 |
| 6 | उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित बैंक की 323 शाखायें में भण्डारित डेड स्टॉक, अलमारियां, फर्नीचर, छपी तथा बगैर छपी स्टेशनरी,भुगतान शुदा एवं गैर-भुगतान शुदा पत्रावलियां, रजिस्टर, लेजर, जनरल लेजर, बिजली की फिटिंग, साइक्लोस्टाइल व डुप्लिकेटिंग मशीन, कूलर, जीप के टायर, टाइपराइटर, बिजली के पंखे, ए० सी०, फैक्स मशीन, कम्प्यूटर व अन्य सामान । | 155.00 |
| योग | | 743.65 |
| 2. चोरी बीमा(पालिसी नं०-44172582) | | |
| 1 | 10,माल एवेन्यू एवं 6, सर्वपल्ली लखनऊ में भण्डारित सम्पूर्ण डेड स्टॉक, फर्नीचर, टाइपराइटर, बिजली के पंखे, कूलर,अलमारियां, छपी तथा बगैर छपी स्टेशनरी, रजिस्टर,जनरल लेजर,पत्रावलियां, बिजली की फिटिंग, साइक्लोस्टाइल व डुप्लिकेटिंग मशीन, इलक्ट्रोस्टेट/फोटोस्टेट मशीन व उससे संबंधित सहयंत्र, कम्प्यूटर व उससे संबंधित सहयंत्र, कम्प्यूटर से संबंधित छपी व बगैर छपी स्टेशनरी व ओवरहेड प्रोजेक्टर, वी०सी०आर० व फैक्स मशीन,ए०सी०, टी०वी० आदि । | 277.00 |
| 2 | प्रधान कार्यालय-लखनऊ व शाखा-लखनऊ तथा प्रशिक्षण केन्द्र के कक्ष में लगे कम्प्यूटर व उससे संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, बिजली की फिटिंग, फर्नीचर व ए०सी० आदि । | 22.00 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 3 | उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित बैंक की 323 शाखाओं में भण्डारित डेड स्टॉक, अलमारियां, फर्नीचर, छपी तथा बगैर छपी स्टेशनरी, भुगतान शुदा एवं गैर-भुगतान शुदा पत्रावलियां, रजिस्टर, लेजर, जनरल लेजर, बिजली की फिटिंग, साइक्लोस्टाइल व डुप्लीकेटिंग मशीन, कूलर, जीप के टायर, टाइपराइटर, बिजली के पंखे, ए0 सी0, फैंक्स मशीन, कम्प्यूटर व अन्य सामान। | 155.00 |
| | योग | 454.00 |
| 3. बाडी इंजरी बीमा(पालिसी नं0-51849750) | | |
| | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कैश ले जाने व लाने वाले उन समस्त कर्मचारियों का बाडी इंजरी बीमा (323 शाखा कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रधान कार्यालय से दो-दो कर्मचारियों का एक समय पर) रू0 50,000/- प्रति कर्मचारी की दर से बाडी इंजरी का बीमा। | 325.00 |
| 4. बैंकर्स इण्डेम्निटी पालिसी (पालिसी नं0-46002853) | | |
| | इस पालिसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित 323 शाखायें , प्रधान कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ सहित कुल 325 यूनिट सम्मिलित हैं । | |
| अ | शाखा कार्यालय- 323 यूनिट | रू0 5.00 लाख (प्रति यूनिट) |
| | कैश इन सेफ/कैश आन काउन्टर, कैश -इन -ट्रांजिट फोरजरी व आल्टरेशन, डिस-आनेस्टी, तथा हाइपोथिकेटेड गुड्स | |
| ब | प्रधान कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र हेतु- 02 यूनिट | रू0 5.00 लाख (प्रति यूनिट) |
| | कैश इन सेफ/कैश आन काउन्टर, कैश -इन -ट्रांजिट फोरजरी व आल्टरेशन, डिस-आनेस्टी, तथा हाइपोथिकेटेड गुड्स | |

सभी शाखाओं का कैश इन सेफ/कैश आन काउन्टर तथा कैश इन ट्रांजिट की सीमा रू0 5.00 लाख प्रति यूनिट है । यह विशेष ध्यान रखा जाये कि उक्त सीमा का अतिक्रमण न किया जाये अन्यथा किसी घटना के घटित होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व माना जायेगा । शाखा कार्यालय में उक्तानुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत कम से कम रोकड़ अवशेष रखने की व्यवस्था की जाये । "बाडी इंजरी बीमा" के अन्तर्गत शाखाओं द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की सूची में किन्ही कारणोंवश परिवर्तन होने, शाखा अथवा प्रशिक्षण केन्द्र पर उपरोक्त वर्णित कोई अन्य क्षति होने पर इसकी सूचना सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक द्वारा बीमा कम्पनी एवं प्रधान कार्यालय को तुरन्त फैंक्स/दूरभाष/रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से दी जाये ।

इसी क्रम में यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है कि यदि निर्देशों के परिपालन में कोई लापरवाही बरती गयी तो बीमा कम्पनी से दावे का भुगतान प्राप्त नहीं हो सकेगा । जिन शाखा कार्यालयों में कोई घटना घटित होती है तो उस शाखा के कर्मचारी/ अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि समय से सूचना दी जाये अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी दोषी समझे जायेंगे तथा घटना में हुई क्षति की धनराशि दोषी कर्मचारी/ अधिकारी के वेतन अथवा देयों से की जायेगी ।

ह0/-
(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।
2. प्राचार्य (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।
3. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर), उत्तरप्रदेशसहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।
4. शाखा प्रबन्धक, इपको टोकियो जनरल इश्योरेन्स कं0लि0 , गोखले मार्ग, लखनऊ ।

ह0/-
(आर0पी0सिंह)
उप महाप्रबन्धक(लेखा)